कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा

(शाखा – प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान)

प्रथम तल्ला, ओ0बी0सी0 हॉस्टल, शिवनंदन प्रसाद मंडल इंटरस्तरीय विद्यालय, मधेपुरा–852113

पत्रांकः– EFE/60/12-13/Part-4/202 दिनांक– 28/01/2017

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा जिला।

विषय प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नत प्रखंड साधन सेवी एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों को विद्यालय के लिए विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि विगत दिनों स्थापना शाखा द्वारा शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नत करते हुए विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित किया गया था। इस क्रम में कई प्रखंड साधन सेवी एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक भी प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नत हुए हैं।

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण के आदेशानुसार कोई भी प्रधानाध्यापक प्रखंड साधन सेवी एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक नहीं रह सकते हैं। अतः आपको आदेश दिया जाता है कि ऐसे प्रखंड साधन सेवी एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक, जो प्राधानाध्यापक पद पर प्रोन्नत हुए हैं, उन्हें अविलंब विद्यालय के लिए विरमित करना सुनिश्चित करेंगे। इस क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश–107, दिनांक–14.01.2017 को रद्द समझा जाए।

विश्वासभाजन

28/1/17

(शिवशंकर राय)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा